

ओमप्रकाश कनाम लक्ष्मीदेवी वर्ग
दावा

6


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

17-6-2016 पत्रावली आज लोक अदालत के
उद्देश्यों पर पेश हुई। वादी ओम प्रकाश
उपस्थित है। वादी ने वाद वापिस लेने का
राजीनामा पेश किया है जो स्वीकार किया
जाकर वादी को वाद वापिस लेने का सशम
न्यायालय में दावा पेश करने की अनुमति
दी जाती है। पर्या उक्री जारी किया जावे।
पत्रावली फौजदारी नम्बर से कम
हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

साक्षात्कार


(सनीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी


(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी


(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एव
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

24
116

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलॉ

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल, ब्राह्मण निवासी जिन्द बाबा का स्थान, गंगापपुर सिटी

—वादी

बनाम

1. मु. लक्ष्मीदेवी बेबा प्रभूदयाल, ब्राह्मण निवासी जिन्द बाबा का स्थान गंगापपुर सिटी
2. सत्यनारायण पुत्र प्रभूदयाल, ब्राह्मण निवासी जिन्द बाबा का स्थान गंगापपुर सिटी
3. वेदप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल, ब्राह्मण निवासी जिन्द बाबा का स्थान गंगापपुर सिटी
4. संतोष पुत्र प्रभूदयाल, ब्राह्मण निवासी जिन्द बाबा का स्थान गंगापपुर सिटी
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल, ब्राह्मण निवासी जिन्द बाबा का स्थान गंगापपुर सिटी
6. लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापपुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 144/2008

वादी की ओर से वादी ओमप्रकाश की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नहीं की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 17.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को अपना वाद वापिस लेने एवं सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 17.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप-निहा कलेक्टर
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	i
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	